

## FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम जोधपुर

जानू खां व अन्य

बनाम्

अब्दुल रहमान व अन्य

किरम मुकदमा - आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. 1908

मुकदमा संख्या - C/26/2025

जीसीएमएस नं 2025/113

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
06.05.2025	<p>प्राथीगण की ओर से एक विनिध प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. 1908 व मिसाल तलबी हेतु प्रस्तुत किया। प्राथीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जयराम बोराणा ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य को दोहराते हुए पूर्व निर्णित राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या A/73/2023 अनवान् जानू खां व अन्य बनाम् अब्दुल रहमान व अन्य अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 को रेस्टोर कर पुनः रिकॉर्ड में लिये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। राजस्व प्रार्थना पत्र की पत्रावली तलब की जाकर उसका अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि अप्राथीगण/मूल प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण द्वारा दीर्घ समय से उपस्थिति दर्ज नहीं हैं व न ही जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः मूल प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण की लम्बे समय से उपस्थिति दर्ज न होने से हस्तगत प्रकरण में अप्राथीगण की तलबी की जाना आवश्यक नहीं है। अधिवक्ता प्राथीगण बहस हेतु तैयार हुए। बहस अधिवक्ता प्राथीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर निर्णयन हेतु न्यायाहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर उपर्युक्त वर्णित मूल राजस्व प्रार्थना पत्र को पुनः उसी नम्बर पर रेस्टोर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

